

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 44/2025

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. भवानी सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्रा.पो. लंगेरा जिला बाड़मेर (मैसर्स कमल टी कं., सी-3 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का विक्रेता)
2. नरेश कुमार पुत्र श्री हस्तीमल निवासी करमू जी की गली, ढाणी बाजार, बाड़मेर (मैसर्स कमल टी कं., सी-3 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मालिक)
3. फर्म मैसर्स जय वीर मार्केटिंग एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, धर्मगांव के पास, नवा, डीसा (गुजरात) पिन कोड 385535

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 15.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स कमल टी कं., सी-3 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 19.02.2024 को खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड अभिनंदन जो एक रेंक में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 01-01 लीटर के कुल 04 पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2430 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व

विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड अभिनंदन का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड अभिनंदन का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में पेश किया कि विप्रार्थी की फर्म से बरामद सुदा घी से किसी प्रकार से आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तथा न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत आम जनता द्वारा की गई है तथा प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर श्रीमान जी के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर उक्त परिवाद बेबुनियाद व मनगढत होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक (Substandard) पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Polenske value** का मानक स्तर **0.5 to 2.0** के मुकाबले **2.5** पाया गया है एवं **Test For foreign fat** का मानक स्तर **Foreign fat should be Absent** के मुकाबले **foreign fat present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में पेश किया कि विप्रार्थी की फर्म से बरामद सुदा घी से किसी प्रकार से आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तथा न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत आम जनता द्वारा की गई है तथा प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर श्रीमान जी के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर उक्त परिवाद बेबुनियाद व मनगढत होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने

## खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 44/2025/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम भवानी सिंह व अन्य

के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- और अप्रार्थी संख्या 03 पर रूपये 1,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर